



2026:AHC-LKO:14114

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट सी संख्या 526/2026

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

जग प्रसाद और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपर आयुक्त, प्रशासन, द्वितीय,

देवी पाटन मंडल, गोंडा और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: फैज़ अहमद खान

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, चन्द्र शेखर शुक्ला, पंकज गुप्ता, विजय शंकर त्रिवेदी

न्यायालय संख्या-5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री फैज़ अहमद खान, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के अधिवक्ता श्री विजय शंकर त्रिवेदी को सुना गया।
2. इस वाद में विवाद, गाटा संख्या 32 (0.870 हेक्टेयर) पर स्थित ज़मीन की सीमा तय करने से जुड़ा है, जो निजी प्रतिवादियों के पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। याचिकाकर्ता, गाँव माधवपार (परगना, तहसील और ज़िला गोंडा) में गाटा संख्या 23 पर स्थित ज़मीन के दर्ज काश्तकार हैं। यह ज़मीन गाटा संख्या 32 से सटी हुई है, इसलिए उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा 24/भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 41 के तहत होने वाली कार्यवाही में उनका पक्षकार होना ज़रूरी था।
3. कार्यवाही सन 2015 में शुरू हुई थी और राजस्व अधिकारियों से आख्या भी मांगी गई थी, लेकिन बाद में कार्यवाही के दौरान आपत्तियां सुनने के बाद राजस्व अधिकारियों से एक और नई आख्या मांगी गई, जो दिनांक 02.01.2020 को सौंपी गई। ऐसा लगता है कि जब प्रकरण अगली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बार दिनांक 20.05.2022 को सूचीबद्ध किया गया, तो याचिकाकर्ता न तो पेश हुए और न ही उन्होंने दिनांक 02.01.2020 की आख्या के विरुद्ध अपनी आपत्तियां दाखिल किया और इसलिए उप जिलाधिकारी, देवी पाटन मंडल, गोंडा ने राजस्व अधिकारियों की दिनांक 02.01.2020 की आख्या के आधार पर सीमांकन आख्या की पुष्टि की और वास्तविक सीमांकन कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपर आयुक्त (प्रशासन-II) के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर किया, जिसमें कहा गया कि दिनांक 02.01.2020 को दूसरी राजस्व आख्या दाखिल होने के बाद उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया था।

4. इस बात के अलावा कि वाद के एक पक्ष, यानी स्वामी दीन की मौत दिनांक 12.03.2020 को हो गई थी और इसलिए दिनांक 20.05.2022 का आदेश एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया था, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों पर उचित रूप से विचार किया। उन्होंने पाया कि उप जिलाधिकारी ने दिनांक 02.01.2020 की राजस्व आख्या मिलने पर नोटिस जारी किए थे। उन्होंने यह भी देखा कि बेशक कार्यवाही के दौरान स्वामी दीन की मौत हो गई थी, लेकिन नोटिस याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 को तामील करवाए गए थे, जो स्वामी दीन के विधिक उत्तराधिकारी हैं। इसलिए, जब विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस तामील किया गया, तो स्वामी दीन की मौत से जुड़ी कमी दूर हो गई। इसलिए, उन्होंने अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में, दिनांक 20.05.2022 और 06.05.2025 के आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि जब किसी सिविल विवाद में शामिल किसी पक्ष की मौत हो जाती है, तो कार्यवाही पूरी होने से पहले उनकी जगह किसी और को शामिल करना ज़रूरी होता है। इस विधिक सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित कोई भी आदेश अमान्य और शून्य होता है। उनका कहना है कि भले ही यह मान लिया जाए कि स्वामी दीन के विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस तामील करवाए गए थे, लेकिन उस समय वे इस विवाद का हिस्सा नहीं थे; इसलिए स्वामी दीन (मृतक) के विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस तामील होने को स्वामी दीन पर प्रभावी नोटिस तामील नहीं माना जा सकता। उनका तर्क है कि स्वामी दीन की जगह किसी और को शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करने और उनके विधिक उत्तराधिकारियों को विधिवत नोटिस तामील होने के बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसी के अनुसार, इस मामले में यह कहा गया है कि दिनांक 20.05.2022 का आदेश अवैध और मनमाना है, और अपर आयुक्त (प्रशासन) द्वारा पारित दिनांक 06.05.2025 का आदेश भी अवैध और मनमाना है, क्योंकि उन्होंने पक्षों को बदलने से जुड़े पहलू को गलत तरीके से समझा है; इसलिए दोनों आदेशों को रद्द/अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ताओं को नोटिस तामील नहीं कराया गया या ठीक से तामील नहीं कराया गया, आक्षेपित आदेश को रद्द करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता; क्योंकि उन्हें उप जिलाधिकारी के सामने चल रही कार्यवाही की पूरी जानकारी थी और उन्होंने जानबूझकर उस कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था, और इसलिए उन्होंने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया था।

8. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह देखा गया है कि तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है; याचिकाकर्ताओं की एकमात्र शिकायत यह है कि उप जिलाधिकारी ने दिनांक 02.01.2020 की राजस्व आख्या की पुष्टि करने और दिनांक 20.05.2022 का आदेश पारित करने के समय उन्हें सुनवाई का पर्याप्त मौका नहीं दिया। यह देखा गया है कि स्वामी दीन, जो उप जिलाधिकारी के सामने प्रतिवादी थे और गाँव माधवपार, परगना, तहसील और जिला गोंडा में स्थित प्लॉट संख्या 23 की ज़मीन के विधिक भूमि-धारक थे, सीमांकन की कार्यवाही में एक ज़रूरी पक्ष थे। उनकी मृत्यु दिनांक 12.09.2020 को हो गई थी और दिनांक 20.05.2022 का आदेश पारित होने से पहले किसी भी चरण में निजी प्रतिवादियों द्वारा उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था। कहा जाता है कि उक्त कार्यवाही में मौजूद कमी तब दूर हो गई जब दिनांक 02.01.2020 की नई राजस्व आख्या पर नोटिस जारी किए गए और वे नोटिस कुछ याचिकाकर्ताओं को तामील कराये गए, जो स्वामी दीन के विधिक उत्तराधिकारी हैं।

9. इस न्यायालय के सामने विचार करने वाली बात यह है कि क्या मृतक-प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस भेजने का मतलब कार्यवाही में शामिल पक्षों को नोटिस तामील कराना माना जाएगा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि स्वामी दीन के कुछ विधिक उत्तराधिकारियों को कभी भी प्रतिवादी के तौर पर शामिल नहीं किया गया था, इसलिए वे कभी भी उप जिलाधिकारी के सामने वाद में लड़ने वाले पक्ष नहीं थे। 'ज़रूरी पक्ष' का दर्जा उन्हें तभी मिलता जब विधि के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार प्रतिस्थापन के लिए आवेदन किया जाता और उप जिलाधिकारी उसकी पुष्टि करते। इसलिए, जो लोग कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं, उन्हें नोटिस तामील करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नोटिस तामील होने के बावजूद वे ऐसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते।

10. इस प्रकरण में, नियमित कार्यवाही में विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार के तौर पर शामिल करने से पहले उन्हें नोटिस तामील करवाना, मृतक प्रतिवादी को पक्षकार के तौर पर न बदलने की कमी को दूर करने के लिए प्रभावी नोटिस तामील होना नहीं माना जा सकता। इसलिए, स्वामी दीन के विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस तामील करवाने से स्वामी दीन की जगह उनके विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाने की कमी दूर हो जाएगी और इस वजह से, उप जिलाधिकारी के दिनांक 20.05.2022 के आक्षेपित आदेश के समय मौजूद कमी को कार्यवाही में शामिल पक्षों पर नोटिस तामील को प्रभावी तामील मानकर ठीक नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, यह न्यायालय पाता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने विधि को गलत तरीके से समझा और याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

11. उक्त परिस्थितियों को देखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 06.05.2025 और 20.05.2022 के आक्षेपित आदेश रद्द किए जाते हैं। मामले को उप जिलाधिकारी के पास वापस भेजा जाता है ताकि वे दिनांक 02.01.2020 की आख्या मिलने के चरण से नए सिरे से कार्यवाही शुरू कर सकें। याचिकाकर्ताओं को अगले तीन सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियाँ दायर करने की छूट होगी और उप जिलाधिकारी उसके बाद दो माह के भीतर विधि के अनुसार आख्यापक आदेश पारित करके कार्यवाही पूरी करेंगे।

12. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पक्षकार कार्यवाही में सहयोग करने का वचन देते हैं और कोई अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे।

13. जब तक उप जिलाधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किए जाते, तब तक पक्षकार विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखेंगे, जैसी कि आज है।

14. आज दाखिल किए गए तमीली के शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया गया।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

20 फरवरी, 2026

रवि/

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।